अध्याय – II
अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय – II
अनुपालना लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

2.1 राजीव गाँधी चौक का पुनर्विकास

राजीव गाँधी चौक का कार्य इसके वास्तुशिल्पीय तथा हैरिटेज स्वरूप के पुनरुद्धार के साथ ही ट्रैफिक व पैदल आवागमन को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी के इस प्रधान व्यवसायिक केन्द्र के परिवेश में सुधार हेतु शुरू किया गया। परन्तु इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। व्यावहारिक योजना की कमी के साथ ही कार्यों के निम्नस्तरीय निष्पादन व समुचित निगरानी के अभाव के कारण जन सुविधाओं के उन्नयन तथा नगरीय सेवाओं के सुधार के परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। मूलतः तय किये गये परियोजना के कार्यक्षेत्र को ₹ 615.20 करोड़ से भारी कटौती कर ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया। जन उपयोगी गलियारे, सतही विकास, जल वितरण प्रणाली और गलियारे के फर्श पर किया गया ₹ 18.05 करोड़ का व्यय या तो टाला जा सकता था या निष्फल रहा। अग्निशामक तंत्र में ₹ 4.97 करोड़ के व्यय से की गई बढ़ोतरी की क्षमता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

कनॉट प्लेस (सी.पी.), जिसे मूलतः 1929 में एक बाजार–सह–रिहायशी कॉम्प्लैक्स के रूप में डिजाईन किया गया, तीन सर्कलों–बाहरी, मध्य और आन्तरिक में बँटा है। सभी भवन जो कि निजी हैं जो इन सर्कलों के अंदर में निर्मित हैं। कनॉट प्लेस को वर्ष 1995 में राजीव गाँधी चौक के रूप में पुनः नामित किया गया। समय बीतते वर्षों में पुराना होने की प्रक्रिया और संरचनाओं में तदर्थ बदलावों तथा निर्माण के फलस्वरूप इस काम्पलैक्स की समग्र स्थिति में गिरावट आई और इसके मूल अग्रभाग विरूपित हो गये। इसके अतिरिक्त इसके आंतरिक सर्कल में भूमिगत पालिका बाजार और राजीव गाँधी मेट्रो इंटरचेंज टर्मिनल के निर्माण से सी.पी. में आगंतुको तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे परिवहन की भीड़–भाड़ और सड़कों पर वाहन व पदयात्रियों के बीच उलझाव होने लगा। वाणि ाज्यिक गतिविधियों में वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या से सीपी की नागर अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

फरवरी 2005 में सचिव शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.) भारत सरकार (भा.स.) की अध्यक्षता में एक बैठक की गई जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) के अध्यक्ष और अन्य एजेंसियों जैसे दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.), दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी सम्मिलित हुए, जिसमें न.दि.न.प. के मुख्य अभियंता ने इस क्षेत्र की

स्थिति और इसकी समस्याओं पर एक प्रस्तुति दी। इन चर्चाओं के आधार पर न.दि.न.प. ने सचिव श.वि.मं., भा.स. को 30 मई 2005 को एक स्थितिक टिप्पणी प्रस्तुत की जिसमें सी.पी. के लिए एक समग्र पुनर्विकास योजना तैयार करने की सिफारिश की, जिसमें अभियांत्रिकी सेवाओं में वृद्धि/सुधार शामिल है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (परिषद) ने फरवरी 2006 में इस सिफारिश का अनुमोदन किया और इसके निर्णित प्रस्ताव को प्रशासकीय अनुमोदन व व्यय संस्वीकृति हेतु अपने समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पास किया।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 03 मई 2006 को इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) के साथ कनॉट प्लेस और इसके अहाते के पुनर्विकास के लिए परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु एक समझौता किया। ई.आई.एल. ने कनॉट प्लेस के पुनर्विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत की जिसमें लागत अनुमानों सहित निम्नलिखित उप योजनाएँ थीः

अ. सी.पी. के वास्तुशिल्पीय/हैरिटेज स्वरूप का पुनरूद्धार और इसके भवनों के संरचनागत स्थायित्व की जाँच;

ब. नए सबवेज का निर्माण, वर्तमान सबवेज का पुननिर्माण और ट्रैफिक की मुक्त आवाजाही और पैदल चलने वालों की सुरक्षा हेतु बाहरी परिक्षेत्र को सिग्नल–फ्री करने हेतु सड़कों की समायोजना;

स. नई भूमिगत पार्किंग सुविधाओं के निर्माण और सतही पार्किंग के विकास द्वारा सी.पी. की पार्किंग क्षमता में वृद्धि;

द. जन सुविधाओं में सुधार, परिवेशीय सुधार, भू–दृश्य निर्माण और सड़क दृश्य निर्माण; तथा

ई. नागरिक सेवाओं अर्थात् जल और बिजली आपूर्ति, जल निकास व सीवर प्रणाली में अभियांत्रिक सुधार।

परिषद ने इस परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन किया (नवम्बर 2007) और इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत वित्तपोषित करने का निर्णय लिया। परिषद ने इस परियोजना के लिए ई.आई.एल. से टर्नकी परामर्श समझौता (21 मई 2008 को हस्ताक्षरित) करने का भी अनुमोदन किया (28 अप्रैल 2008)। जिसके अंतर्गत इस परियोजना की संकल्पना, योजना, डिजाईन, अभियांत्रिकी और कार्यान्वयन, ठेकेदारों को निर्माण कार्यों की सुपुर्दगी और इसके बाद परियोजना का निरीक्षण, जाँच और इसको पूर्ण रूपेण चालू दशा में न.दि.न.प. को सौंपने के लिए ई.आई.एल. उत्तरदायी था। यह समझौता मई 2006 के पिछले समझौते के स्थान पर किया गया। परामर्श शुल्क निष्पादित परियोजना लागत का आठ प्रतिशत (सेवाकर सहित) या ₹ 48 करोड़ (सेवाकर सहित) इनमें से जो भी कम हो, था और यह दिसंबर 2010 तक लागू था। परियोजना की समाप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर, जिसकी जवाबदेही ई.आई.एल. की न हो, दिसंबर 2010 के बाद के लिए अतिरिक्त शुल्क का निपटान आपसी समझौते की शर्तों के आधार पर किया

जाना था। परिषद ने डी.पी.आर. के कार्यान्वयन के लिए ₹ 615.20 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन व व्यय संस्वीकृति प्रदान की।

तद्न्तर ₹ 448.03 करोड़ की डी.पी.आर. उन निर्माण कार्यों की जिन्हें जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाना था, भारत सरकार को 15 अप्रैल 2008 में भेजी गई, जिसके लिए भा.स. ने अपने अंशदान के रूप में ₹ 88.82 करोड़ का अनुमोदन किया और फरवरी 2009 में पहली किश्त के रूप में ₹ 22.21 करोड़ जारी किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत न.दि.न.प. को परियोजना में अपने अंशदान के रूप में ₹ 38.06 करोड़ भी जारी किए। परियोजना पर होने वाला शेष व्यय न.दि.न.प. द्वारा अपने संसाधनों से किया गया।

मई 2008 में ई.आई.एल. के साथ हुए तैयारशुदा परामर्श समझौते के अनुसार परियोजना को नवंबर 2010 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना का अंतिम उत्तरदायित्व न.दि.न.प. के अभियांत्रिकी विभाग का था। जिसे विभाग के अभियंता प्रमुख के सुपरविजन में कार्यान्वयन किया जाना था। न.दि.न.प. के अधिकारियों से गठित एक परियोजना समन्वय समिति (प.स.स.) 14 मई 2008 को बनाई गई जिसका कार्य परियोजना की प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन के दौरान, आवश्यकतानुसार निर्णय देना था। इसके बाद ई.आई.एल. ने प.स.स. के अनुमोदन से अप्रैल 2009 और जुलाई 2012 के बीच विभिन्न ठेकेदारों को 15 ठेके सौंपे जिनकी कुल संविदागत लागत ₹ 462.12 करोड़ थी और कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथियाँ 05 अप्रैल 2010 से 10 नवंबर 2013 के बीच थीं। ये ठेके वास्तव में अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के बीच निष्पादित किए गए।

चूंकि ई.आई.एल. द्वारा डी.पी.आर. में शामिल कुछ मुख्य मदों[1] को अंतिम रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया, परिषद ने परियोजना के कार्यक्षेत्र को कम कर दिया और व्यय संस्वीकृति को जून 2012 में ₹ 615.20 करोड़ से संशोधित कर ₹ 477.02 करोड़ कर दिए। मार्च 2016 तक न.दि.न.प. ने 'ई.आई.एल.–सी.पी. परियोजना लेखा' में ₹ 423.77 करोड़ हस्तांतरित कर दिए थे। ई.आई.एल. ने अप्रैल 2016 तक ठेकेदारों को ₹ 387.05 करोड़ का भुगतान किया था। यद्यपि ई.आई.एल. ने कार्यस्थल से अपना श्रमबल दिसंबर 2014 में हटा लिया था, परियोजना के पूरा होने की औपचारिक घोषणा अभी की जानी थी और लेखों का समायोजन भी शेष था (मार्च 2016)।

परियोजना के प्रथम लेखापरीक्षा मूल्यांकन में केन्द्र सरकार (सिविल) से संबंधित 19 वें राष्ट्रमंडल खेलों पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2011–12 की संख्या 6) में शामिल किया गया जिसमें परियोजना की समाप्ति में अनावश्यक देरी, कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन, अनुचित परियोजना नियोजन और ठेका प्रबंधन को दर्शाया गया था। इन निष्कर्षों को रा.रा.क्षे.दि.स. से संबंधित मार्च 2011 में समाप्त वर्ष के लिए भारत के

[1]डी.एम.आर.सी. वॉमिटरी (₹ 5.60 करोड़), बागवानी (₹ 2.24 करोड़), भूमिगत पार्किंग में सीसीटीवी/ पीए सिस्टम (₹ 6.72 करोड़), भूमिगत पार्किंग (₹ 111.99 करोड़), रेट्रोफिटिंग (₹ 5.60 करोड़)

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में अतिरिक्त व्यय की अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सहित पुनः प्रकाशित किया था। इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई नोट जनवरी 2016 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। परियोजना का वर्तमान लेखापरीक्षा मूल्यांकन, परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति तथा लागू नियमों के अनुपालक के स्तर और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए किया गया।

2.1.1 योजना व तैयारी

उचित योजना व तैयारी, प्रभावी तथा सामयिक कार्यान्वयन हेतु एक पूर्व आवश्यकता है। यह उस परियोजना में अत्यावश्यक है जिसमें अनेक अंशधारक/एजेंसियाँ हों और एक शहरी क्षेत्र के व्यस्त वाणिज्यिक केंद्र में निष्पादन हो रहा हो। प्रभावी योजना हेतु व्यवहारिक संकल्पना और परियोजना के निष्पादन हेतु आवश्यक सभी घटकों का निर्धारण शामिल है जैसे कार्यस्थल की पहचान और उपलब्धता, अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का आवंटन, ठेकों को समय पर पूरा करना और किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सामयिकता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निगरानी । व्यवहारिक संकल्पना तथा योजना की कमियां कथित पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर में प्रदर्शित होती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना की उपलब्धियाँ मूलतः यथानिर्धारित स्थापित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थीं जैसा कि नीचे **तालिका–2.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका–2.1.1: परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

क्र. सं.	प्राथमिक लक्ष्य	निष्पादित किये जाने वाली कार्य की मद	निष्पादित किया गया/ नहीं किया गया	कार्य की स्थिति
1.	भवनों के हैरिटेज स्वरूप तथा संगठनात्मक स्थिरता का संरक्षण	भवनों में बाह्य, मध्य तथा अंतःमध्य सर्कलों में भवनों के अग्रभाग का पुनरूद्धार	₹ 40.02 करोड़ के व्यय पर केवल बाह्य, आंतरिक सर्कलों में अग्रभाग का पुनरूद्धार किया गया। मध्य सर्कल में यह कार्य नहीं किया गया।	अगस्त 2010 में, प.स.स. ने ई.आई.एल. से कहा था कि मध्य सर्कल के लिए एक योजना अग्रेषित करे जिसे रा.मं.खे. 2010 के बाद आरंभ किया जाना था। प.स.स. ने यह मामला नवंबर 2010 और मार्च 2010 की अपनी बैठक में भी उठाया। तथापि इस पर कोई प्रगति नहीं हुई।
2.	अग्रभाग के कॉरिडोरों में फर्श लगाना	सी.पी. के अग्रभाग के कॉरिडोरों में मौलिक वास्तुशिल्प से मेल खाने वाले बलुआ पत्थर के समज्यमितिय फर्श लगाना, जैसा डी.यू.ए.सी. द्वारा प्रस्तावित था	ई.आई.एल. ने इस कार्य को तीन ठेकों में शामिल किया, लेकिन इसे निष्पादित नहीं किया गया।	कार्य की इस मद के गैर–निष्पादन के लिए लेखापरीक्षा को कोई कारण नहीं बताए गए।

3.	भवनों के संरचनागत स्थायित्व का निर्धारण	ई.आई.एल. को भवनों के संरचनागत स्थायित्व के अध्ययन के लिए एक विशेष एजेंसी की नियुक्ति तथा सिफारिशें/सुझाव न.दि.न.प. को अग्रेषित करने थे। भवन मालिकों द्वारा सीधे सुधारात्मक उपाय भवन के मालिकों द्वारा स्वंय किए जाने थे।	न.दि.न.प. को ई.आई.एल. से वांछित संरचनागत स्थायित्व अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया और भवन मालिकों को उनके भवनों के स्थायित्व की स्थिति नहीं बताई गई।	लेखापरीक्षा को कार्य की इस मद के गैर–निष्पादन के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	वाहन ट्रैफिक की निर्वाध आवाजाही और पैदल यात्रियों की सुरक्षा	बाहरी सर्कल पर ट्रैफिक के अबाधित सिग्नल मुक्त आवाजाही तथा पैदल चलने वालो के लिए सुरक्षित रास्ता प्रदान करने के लिए आठ सबवेज का निर्माण तथा विद्यमान पाँच भूमिगत पार सबवेज की पुनः मॉडलिंग करके अतिरिक्त प्रवेश द्वारों को बाहरी सर्कल के साथ जोड़ना।	ई.आई.एल. ने यह कार्य नवम्बर 2009 में ₹ 56.05 करोड़ की लागत पर सौंपा। मात्र दो सबवेज पूर्ण हो पाए और तीन विद्यमान सबवेज को ₹ 22.31 करोड़ की लागत पर पुनर्निमित किया गया। अन्य दो नए भूमिगत सबवेज को शुरू कर ₹ 3.21 करोड़ का व्यय कर के परित्याग दिया गया।	इसके कारण दस्तावेजों में नहीं पाये गये पी.सी.सी. ने बाकी रहे सबवेज के मामले ई.आई.एल. के साथ कभी नही उठाए। परित्यक्त भूमिगत सबवेज पर ₹ 3.21 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।
5.	सड़कों की गुणवता और टिकाऊपन में सुधार	बाहरी, आंतरिक और रेडियल सड़कों का सीमेंट कंक्रीट और मध्य सर्कल की सड़क का ग्रेनाइट कंकड़ों से ₹ 12.56 करोड़ की लागत पर पुनर्निर्माण	बाहरी सर्कल, आंतरिक सर्कल और रेडियल सड़कों पर बिटुमिनस कंक्रीट की परत पुनः बिछाने का कार्य अतिरिक्त मद या अन्य चालू परियोजना के माध्यम से मात्रा में विचलन के रूप में किया गया। मध्य सर्कल को सीमेंट कंक्रीट से पुनर्निर्मित किया गया।	तैयारशुदा समझौते की शर्तों के अंतर्गत सभी सांविधिक अनुज्ञप्तियाँ ई.आई.एल. द्वारा प्राप्त की जानी थी और सरकारी निकायों से अपेक्षित सहायता न.दि.न.प. द्वारा प्रदान की जानी थी। इसलिए यह ई.आई.एल. और न.दि.न.प. दोनों का उत्तरदायित्व था कि वे अपेक्षित अनुज्ञाप्तियाँ प्राप्त करें। यह कार्य वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करने में विलंब के कारण रूक गया। आवश्यक अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने तथा कार्य आदेशों की निर्मुक्ति में देरी के कारण और रा.मं.खे. 2010 में होने वाले साईकलिंग इवेंट के कारण न.दि.न.प. के पास बिटुमिन की सड़क बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

6.	पैदल यात्रियों का आवागमन सुगम करने और लोगों को सबवेज के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भूमिगत पार पथों में स्वचालित सीढियाँ लगाना	नए और वर्तमान सबवेज में ₹ 80 करोड़ की लागत पर 64 स्वचालित सीढियाँ लगाना। सभी भूमिगत सबवेज पर छत बनानी थी।	ई.आई.एल. ने 58 स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण कार्य ₹ 29.24 करोड़ की लागत पर, छत लगाने के प्रावधान के बिना सौंपा गया। ₹ 11.17 करोड़ की लागत पर केवल 22 स्वचालित सीढ़ियां लगाई गयी परन्तु किसी पर भी छत नहीं बनाई गई। जिसमें से 14 गैर–कार्यशील (18 मार्च 2015) थीं क्योंकि उनके कीमती पुर्जे चोरी हो गए थे।	36 स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई। इसके अतिरिक्त, 22 बनाई गई में से, 14 गैर–कार्यशील पड़ी थी। इस प्रकार, मूल रूप से बताई गई 58 स्वाचालित सीढ़ियों में से केवल 8 ही वास्तविक रूप से कार्यशील थी तथा पैदलयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी।
7.	पार्किंग सुविधाओं में वृद्धि	₹ 112 करोड़ की लागत पर आंतरिक सर्कल के नीचे 2200 समान कार स्थान (ई.सी.एस.) की क्षमता रखने वाली द्विस्तरीय भूमिगत पार्किंग का निर्माण	यह आरम्भ में कार्यों के निष्पादन हेतु नहीं किया गया। न.दि.न.प. ने 25 जून 2012 को कार्यक्षेत्र से पार्किंग की सुविधा को हटा दिया।	प.स.स. ने ई.आई.एल. को आन्तरिक सर्कल में स्वचालित भूमिगत पार्किंग के लिए प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा (दिसम्बर 2008) जब ई.आई.एल. को नई पार्किंग की व्यवहार्यता प्रस्तुत किए जाने को कहा, ई.आई.एल. ने 4 मार्च 2010 को अर्द्ध–स्वचालित पार्किंग की संकल्पना प्रस्तुत की, प.स.स. ने पार्किंग परियोजना को अगले चरण तक स्थगित कर दिया। इस प्रकार कनॉट प्लेस में भूमिगत पार्किंग सुविधा का निर्माण नहीं किया गया जो भीड़ भाड़ को कम कर देता।
8.	वर्षा जल एकत्रण प्रणाली	कनॉट प्लेस में भूमिगत जल पुनः चार्ज प्रयोजन किए जाने के लिए छतों, केन्द्रीय पार्क तथा पैदलयात्री प्लाजा से बहते हुए जल को उपयोग में लाने हेतु ₹ 60.82 लाख की लागत पर वर्षा जल एकत्रण प्रणाली का निर्माण।	प्रस्तावित प्रणाली को नहीं किया गया।	ई.आई.एल. ने स्थल उपलब्धता की कमी को इस कार्य के न होने का कारण बताया (मई 2015) जो उनकी त्रुटिपूर्ण योजना तथा संकल्पना को दर्शाता है।

जैसा कि उपरोक्त साक्ष्य है कि कनॉट प्लेस के हैरिटेज स्वरूप का पुनःस्थापन, संरचनात्मक स्थायित्व की सुनिश्चितता तथा ट्रैफिक की सुगमता व पैदलयात्रियों की आवाजाही के मुख्य

लक्ष्यों में से किसी की भी प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए वास्तविक योजना में कमी उत्तरदायी है। जैसा कि कार्यक्षेत्र में भारी कटौती कर मूल डी.पी.आर. को ₹ 615.20 करोड़ से ₹ 477.02 करोड़ किए जाने तथा कार्य के निष्पादन में देरी से परिलक्षित होता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

(i) ई.आई.एल. कम्पनी ने ₹ 2.83 करोड़ की लागत पर पी–ब्लॉक मे मद्रास होटल के पीछे 200 मीटर लम्बी भूमिगत फीडर कॉरिडार का निर्माण पॉवर केबल, वॉटर मेन्स तथा अन्य उपयोगी सेवाओं के रखने के लिए सेवा कॉरिडोर नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में किया। तथापि, यह फीडर कॉरिडोर मेन टनल से अथवा किसी अन्य सेवा टनल से नहीं जोड़ी गई तथा बेकार पड़ी हुई थीं। ई.आई.एल. ने (मई 2015) बताया कि फीडर कॉरिडोर को पूरा नहीं किया जा सका था क्योंकि न.दि.न.प. निर्माण स्थल पर अतिक्रमण तथा तहबाजारी के मामले को नहीं सुलझा सका था। न.दि.न.प. द्वारा ई.आई.एल. को बाधा मुक्त क्षेत्र मुहैया कराने की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.83 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(ii) अनुमोदित योजना के अनुसार, एक भूमिगत सर्विस ट्रेंच इलैक्ट्रिक केबल्स तथा अन्य उपयोगी सेवाओं को बिछाने के लिए बाह्य सर्कल के साथ निर्मित की जानी थी। यह देखा गया कि 2,317 मीटर में से केवल 1,000 मीटर की ट्रेंच का निर्माण ₹ 1.40 करोड़ की लागत पर किया गया क्योंकि न.दि.न.प. ने ई.आई.एल. को कार्य स्थल मुहैया नहीं कराया था। अधूरी ट्रेंच बेकार पड़ी रहने के कारण ₹ 1.40 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

तैयार शुदा करार के अंतर्गत न.दि.न.प. का यह दायित्व था कि वह ई.आई.एल. को कार्य के निष्पादन के लिए सभी बाधाएँ हटा कर तथा बाधा मुक्त भूमि मुहैया कराए। इस प्रकार, न.दि.न.प. की ई.आई.एल. को बाधा मुक्त स्थल के साथ–साथ अतिक्रमण मुक्त स्थल मुहैया कराने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.23 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

2.1.2 सतह विकास योजना

सतह विकास योजना, जो कि परिषद द्वारा अनुमोदित की गई थी, में परिवेशीय सुधार, भू–दृश्य में बढ़ोतरी, जन सुविधाओं को उन्नतशील बनाए जाने तथा पर्याप्त प्रकाश के लिए व्यवस्था किया जाना सम्मिलित था। ई.आई.एल. ने 11 मार्च 2010 को एक ठेकेदार को यह कार्य 10 अक्तूबर 2010 तक पूर्ण किए जाने की अनुबंधित तिथि के साथ सौंपा। वास्तव में कार्य 15 मार्च 2013 को पूरा किया गया। ठेकों में

सम्मिलित मदों तथा वास्तविक निष्पादन के ब्यौरे नीचे **तालिका 2.1.2** में दिए गए हैः

तालिका 2.1.2: जन उपयोग की ठेका मदों का गैर/कम निष्पादन

क्र.सं.	कार्य की मद	निर्माण की जाने वाली/ लगाई जाने वाली संख्या	वास्तविक रूप से निर्मित/ लगाई गई	कमी (%)
1.	नए शौचालय	34	11	63
2.	कियोस्क	36	शून्य	100
3.	स्ट्रीट लाईट	267	116	57
4.	हाई मास्ट लाईट	10	शून्य	100
5.	कूड़ेदान	214	60	72
6.	गार्डन लाईट	1449	154	89
7.	स्ट्रीट फर्नीचर	300	शून्य	100
8.	पेयजल स्त्रोत	संख्या निर्दिष्ट नहीं है	शून्य	100
9.	खेलकूद उपकरण	–वही–	शून्य	100
10.	पालिक बाजार और पालिका पार्किंग के टेरेस पर बाग बनाने के साथ–साथ दोनों को जोड़ने वाले दो फुट ओवरब्रिज का विकास	02	निर्मित नहीं	100
11.	सी.पी. का एक भव्य दृश्य प्रदान करने वाला 15 मी. ऊँचा प्लेटफार्म	01	निर्मित नहीं	100

यदि कार्यमदों में कमी को संख्याओं में प्रदर्शित किया जाए तो यह कमी की प्रतिशतता 57 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। ठेका मदों के कम निष्पादन के कारण न तो दर्ज किए गए और न ही प.स.स. ने ई.आई.एल. से इसकी चर्चा की। जन उपयोगिता की ठेका मदों के गैर/कम निष्पादन से सामान्य जन सी.पी. में सुधरी हुई नागरिक सुविधाओं से और अच्छे परिवेश से, जिनकी अनुमोदित डी.पी.आर. में संकल्पना की गई थी, वंचित हो गए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया किः

(i) ई.आई.एल. ने आंतरिक सर्कल, बाहरी सर्कल के अन्दर के तरफ तथा रेडियल सड़कों के साथ पौधों की क्यारियों के निर्माण पर तथा उपयुक्त मिट्टी एवं इन पौधों की क्यारियों में खाद का प्रबंध करने के लिए ₹ 1.27 करोड़ खर्च किये। हालाँकि, यह पाया गया था कि बाहरी सर्कल के आंतरिक किनारे पर पौधे की क्यारी मौजूद नही थी। न.दि.न.प. ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि बाहरी सर्कल के अन्दर की तरफ

पौधों की क्यारियाँ बनाने से यात्रियों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी और इन्हीं पौधों की क्यारियों पर वाहन खड़े किए जा रहे थे। बाद में इस जगह को पत्थर की पट्टियों से कवर कर दिया गया था। इस प्रकार, एक अनुपयुक्त स्थान पर पौधों की क्यारियों के निर्माण के परिणामस्वरूप क्यारी निर्माण पर खर्च किये गये कुल ₹ 1.27 करोड़ में से ₹ 60 लाख का निरर्थक व्यय हुआ जोकि बाहरी सर्कल के अंदर की तरफ पौधे की क्यारियाँ बनाने पर हुआ ।

(ii) इसी प्रकार, आंतरिक सर्कल के भीतर घास, घास जाल और अन्य सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन पर ₹ 64.73 लाख का व्यय किया गया था। बाद में ई.आई.एल. ने नई दिल्ली व्यापारी समिति (एन.डी.टी.ए.) द्वारा उठाए गए विरोध के कारण इन मदों को विघटित कर दिया जिससे व्यय निष्फल हो गया।

(iii) ई.आई.एल. ने सी.पी. में ₹ 31 लाख रूपये के मूल्य की 581 बोलार्ड लाइटें लगाई। क्योंकि कुछ लाइटें चोरी हो गई थी, ई.आई.एल. ने बाकी बची लाइटों को हटा दिया तथा उन्हें न.दि.न.प को सौंप दिया जहाँ उसे गोदाम में रख दिया गया था। इस प्रकार स्थान के लिए इनकी उपयुक्तता को सुनिश्चित किये बिना इन लाइटों का प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹ 31 लाख रूपये का निरर्थक व्यय हुआ।

(iv) डी.यू.ए.सी. ने अग्रभाग के कॉरिडारों में प्रस्तावित ग्रेनाइट फर्श के स्थान पर बलुई पत्थर के उपयोग का अनुमोदन किया था। जबकि, ई.आई.एल. ने ग्रेनाइट पत्थर की शिलाओं का उपयोग किया। इसके परिणाम में ₹ 2.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर बलुई पत्थर से महँगा होता है। बलुई पत्थर के स्थान पर ग्रेनाइट के उपयोग हेतु कोई कारण रिकार्ड में नहीं पाए गए थे।

(v) 16 दिसम्बर 2011 को न.दि.न.प. के सचिव के साथ आयोजित एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि अग्रभाग की लाईटिंग का कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि भविष्य में उनके रख–रखाव की समस्या से बचा जा सकें। ई.आई.एल. ने अग्रभाग के लाईटिंग कार्य के लिए ₹ 3.29 करोड़ की लागत पर दो ठेके सौंपे। न.दि.न.प. और ई.आई.एल. के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि फ्लोर में लगाई गई एल.ई.डी. लाईटें और ऊपरी *जालियों* पर एल.ई.डी. पट्टीयाँ या तो स्थान पर नहीं थीं या अधिकतर खण्डों में टूटी हुई थीं, बिजली के तार स्थान पर नही थे तथा प्रणाली निष्क्रिय हो चुकी थी। ई.आई.एल. ने कहा (मई 2015) कि आंतरिक सर्कल में अग्रभाग लाईटिंग कार्य को पूर्ण करके उसे न.दि.न.प. को सौंप दिया गया (फरवरी 2014) जिसका उन्होने अनुरक्षण नहीं किया।

(vi) सतह विकास के कार्य के लिये ठेके में *सिंदूरी* लाल रंग के ग्रेनाइट कर्बस या इसके समतुल्य क्रमशः ₹ 43000 और ₹ 54000 प्रति घन मीटर की दो मदें थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि ई.आई.एल. ने इन मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में माना तथा 68,981 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 1.99 करोड़ का भुगतान किया। अनुबंधित दर के अनुसार इस मद की लागत ₹ 1.30 करोड़ परिकलित की गई जिसके

परिणामस्वरूप ₹ 69 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। ई.आई.एल. ने (मई 2015) कहा कि *सिंदूरी* लाल पत्थर के स्थान पर राजश्री लाल ग्रेनाइट पत्थर न.दि.न.प. द्वारा निर्देशित किये जाने पर लगाया गया था। तथापि, ई.आई.एल. ने इस दावे के समर्थन में लिखित प्रमाण प्रस्तुत नही किए तथा साथ ही ठेका सौंपने के बाद विनिर्देशन में परिवर्तन किये जाने के कारणों का उल्लेख नही किया।

इस प्रकार योजना और कार्यान्वयन में कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ के निष्फल व्यय के साथ–साथ ₹ 3.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.1.3 जल आपूर्ति प्रणाली

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि:

(i) सी.पी. में अंशतः कर जल आपूर्ति किये जाने की समस्या को दूर करने तथा 24x7 जल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, परिषद ने 2700 कि.ली. क्षमता के एक नवीन भूमिगत जल टंकी के निर्माण तथा एक नवीन जल आपूर्ति नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दी। प्रस्तावित जल टंकी को जल शोधन के लिये भी उपयोग किया जाना था तथा पालिका बाजार और पालिका पार्किंग को भी जल आपूर्ति की जानी थी। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ई.आई.एल. ने एक नवीन जल आपूर्ति नेटवर्क बिछाने पर ₹ 3.16 करोड़ का व्यय किया। तथापि, प्रस्तावित भूमिगत जल टंकी का निर्माण नही हो सका क्योंकि भूमिगत जल टंकी के लिए प्रारम्भिक चिन्हित भूमि उचित नही पाई गई तथा न.दि.न.प. इसके लिए कोई वैकल्पिक भू–स्थल का प्रबंध करने में विफल रहा। नया नेटवर्क इस प्रकार पहले से मौजूद भूमिगत पुरानी जल टंकी से जोड़ दिया गया तथा सी पी, पालिका बाजार और पालिका पार्किंग में 24x7 जल आपूर्ति का लक्ष्य अप्राप्य रह गया।

(ii) परिषद ने सी.पी. में हरित स्थानों के रख–रखाव के लिये एक सिंचाई प्रणाली के लिये ₹ 1.28 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ई.आई.एल. ने नवम्बर 2009 से दिसम्बर 2012 के दौरान दो ठेकों पर भूमिगत वितरण लाईनो और गार्डन हाइड्रेन्ट वाली एक सिंचाई प्रणाली का प्रबंध करने के लिए ₹ 2.44 करोड़ का व्यय किया। तथापि यह नवनिर्मित सिंचाई प्रणाली किसी जल के स्त्रोत से नही जोड़ी गई थी तथा बेकार पड़ी थी। ई.आई.एल. ने (मई 2015) सूचित किया कि न.दि.न.प. द्वारा जल टंकी और जल स्त्रोत के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप नही दिया गया था। इस प्रकार, जल स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना नवीन सिंचाई प्रणाली बिछाने में ₹ 2.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्श करार के अंतर्गत कार्यों के लिए आवश्यक भूमि प्रदान कराने का उत्तरदायित्तव न.दि.न.प. का था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के निष्पादन के सामान्य नियम जो कि न.दि.न.प. द्वारा अपनाये गये सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य मैनुअल के अनुबन्धों के

अनुसार, आवश्यक है कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पहले बाधारहित स्थल सुनिश्चित होना चाहिए। न.दि.न.प. और ई.आई.एल. की कार्य के प्रारम्भ से पहले जल आपूर्ति नेटवर्क के लिये आवश्यक सभी घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 5.60 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

2.1.4 अग्निशमन प्रणाली

परिषद ने अग्निशमन प्रणाली के लिये ₹ 9.50 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी। इसके विरूद्ध ई.आई.एल. ने भूमिगत जल टंकी और अग्नि उपकरण को लेकर एक नवीन प्रणाली पर ₹ 4.97 करोड़ का व्यय किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चलाः

(i) 129 हाइड्रेन्ट बॉक्स पूरे सीपी के अग्नि हाइड्रेन्टस के समीप स्थापित किये गये थे। इनमें से सभी क्षतिग्रस्त और बेकार हो गये थे क्योंकि उनके दरवाजे चोरी हो गए थे। फलस्वरूप, अग्नि संकटकाल के समय में उपयोग के लिये आवश्यक अग्निशमन उपकरण जो प्रत्येक हाइड्रेन्ट बॉक्स में रखे जाने चाहिए थे (अर्थात् 15 मी. वाली छः हौज पाइप एवं अग्नि कुल्हाड़ी तथा अन्य उपकरण), इन बॉक्सों में नही रखे गये थे, जबकि इन मदों की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा कर दी गई थी।

खाली तथा नष्ट फायर हाइड्रेन्ट बॉक्स

(ii) अग्नि की स्टीक स्थिति का पता लगाने के लिये अग्नि हाइड्रेन्टस् प्रवाह स्विचों के साथ–साथ केन्द्रीय नियंत्रक कक्ष से इन प्रवाह स्विचों तक नियंत्रक विद्युत तार का प्रबंध होना चाहिए था। हालाँकि न तो नियंत्रक कक्ष स्थापित किया गया था, न ही प्रवाह स्विच, नियंत्रक विद्युत तार और सांकेतिक पैनल का प्रबंध किया गया।

(iii) अग्नि संकटकाल में अग्नि हाइड्रेन्ट संचालन के लिए एकल शीर्ष प्रकार के हाइड्रेन्ट वाल्व प्रत्येक हाइड्रेन्ट बॉक्स में लगाए जाने चाहिए थे। इन वाल्वों को भूमिगत चैम्बर्स में लगाया गया, जोकि यांत्रिक ताले से युक्त ढ़क्कन से ढ़क कर बंद किये गये थे। भूमिगत चैम्बर वाल्व के कवर को हटाने के लिए कोई मशीन या यंत्र हाइड्रेन्ट बक्से में प्रदान नही किया गया था। इस प्रकार, अग्नि संकट के मामले में इन वाल्वो के संचालन की सम्भावना समस्यात्मक थी। इसके अतिरिक्त समान प्रकार के ढ़क्कनों से बन्द अन्य सेवाएँ जैसे दूरसंचार, जल, बिजली, सीवेज इत्यादि के लिए विभिन्न चैम्बर्स प्रत्येक हाइड्रेन्ट के आस–पास स्थित थे। चूंकि अग्नि संकट के मामले में प्रणाली को संचालन हेतु बनाने के लिए वाल्व वाले चैम्बर्स को स्पष्ट रूप से चिन्हित

नही किया गया है, वाल्व के संचालन हेतु ढक्कन को हटाने के लिए उसका पता लगाना मुश्किल था।

अतः ₹ 4.97 करोड़ के व्यय के बावजूद अग्निशमन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिये कार्यों की क्षमता स्थापित नही की गई।

2.1.5 मध्य सर्कल में सर्विस टनल का निर्माण

न.दि.न.प. द्वारा भविष्य में पाइपों और तारों के प्रतिस्थापन के लिए उत्खनन से बचने के विचार से ट्रंक जल लाइनों, दूरसंचार तारो, सिंचाई पाइपलाइन, आई.जी.एल. पाइपलाइनों, पॉवर तारो और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ओपन कट तकनीक के द्वारा मध्य सर्कल के नीचे 23 फीट ऊँचाई और 22 फीट चौड़ाई के साथ भूमिगत सर्विस टनल (कोरिडोर) के निर्माण के लिए ₹ 71.21 करोड़ का व्यय प्रदान करने के लिए डी.पी.आर. की मंजूरी दी गई। इसने साथ ही सी.पी. में बिजली, जल, जल निकास और सीवेज प्रणाली के सुधार के लिये ₹ 70.93 करोड़ के व्यय का भी प्रावधान किया। इन कार्यों को करने के लिये ₹ 142.14 करोड़ की सकल राशि अनुमोदित की गई थी।

ई.आई.एल. ने जून 2009 में इन दोनों कार्यों के लिये एक निविदा आमंत्रित की। निविदा पूर्व बैठक (जून 2009) के बाद एक ठेकेदार के अनुग्रह पर, ई.आई.एल. ने 'ओपन कट टैक्नोलॉजी' को महँगी 'डायाफ्राम वॉल टैक्नोलॉजी' से बदल दिया। नवम्बर 2009 में एक संयुक्त कार्य (सर्विस टनल के निर्माण के लिये ₹ 157.85 करोड़ तथा बिजली, जल, निकासी और सीवेज प्रणाली के सुधार के लिये ₹ 78.85 करोड़) ₹ 236.70 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया।

मई 2015 तक, ई.आई.एल. ने सर्विस टनल के निर्माण पर ₹ 180.48 करोड़ का व्यय तथा टनल परिचालन और इसे कार्यशील बनाने के लिये आवश्यक उपकरणों पर ₹ 12.47 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था जो परिषद द्वारा स्वीकृत राशि का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार ई.आई.एल. ने तकनीक में परिवर्तन और अनुमोदित न की गई मदों के निष्पादन के कारण सर्विस टनल पर ₹ 71.21 करोड़ के आवंटन तथा ₹ 157.85 करोड़ की संविदा राशि के प्रति ₹ 192.95 करोड़ का व्यय किया। लागत में 171 प्रतिशत की बहुत बड़ी वृद्धि के बावजूद संशोधित अनुमान के लिये तथा तकनीक में परिवर्तन के लिए परिषद का न तो पहले और न ही कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य मैनुअल का खण्ड 2.3.4 अनुबन्धित करता है कि मूल योजना से विचलन, जिससे मूल संस्वीकृति कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए, को उस प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं करना चाहिए जिससे प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की गई थी, चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर बचत करके पूरी की जा सकती हो। इसके अतिरिक्त, परामर्श समझौते के तहत भी ई.आई.एल. को तकनीकी,

गुणवता और परिचालन प्रदर्शन के अनुसार पैसे की उचित कीमत प्राप्त करने के लिये डिजाइन, लागत और कार्यक्रम के संदर्भ में समय–समय पर न.दि.न.प. को अवगत कराना था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के निष्पादन के किसी भी स्तर पर यदि यह महसूस किया गया हो कि कार्य न.दि.न.प. द्वारा पहले से स्वीकृत वैचारिक/पुनर्विकास योजना के अनुसार नही चल रहा है, तो परिषद के पास ई.आई.एल. पर अनिवार्य सुधारात्मक उपाय और निर्णय के लिये हस्तक्षेप करने का अधिकार था जोकि ई.आई.एल. के लिए बाध्य थे । लागत में शामिल उच्च वृद्धि को देखते हुए, ई.आई.एल. द्वारा डायाग्राफ वॉल तकनीकी को अपनाने के लिए, कार्य के निष्पादन से पहले उसे स्वीकृति हेतु न.दि.न.प. को भेजा जाना चाहिए था।

2.1.6 निष्कर्ष

योजना का सर्वसमावशक उद्देश्य, सी.पी. के वास्तुशिल्पीय तथा हैरिटेज स्वरूप का पुनरूद्धार करने के साथ ही ट्रैफिक तथा पैदलयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इस प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र में पर्यटकों की अनुभूति तथा अनुभवों में सुधार करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। जैसाकि परियोजना के कार्यक्षेत्र को डी.पी.आर. में निहित ₹ 615.20 करोड़ में भारी कटौती कर ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया। कार्य के निष्पादन में चार वर्ष तक की देरी के बावजूद केवल बाह्य व आन्तरिक सर्कलों के अग्रभाग का पुनरूद्धार, के कार्य को पूरा किया गया था जबकि भवनों के संरचनात्मक स्थायित्व की सुनिश्चितता का अध्ययन नहीं किया गया था। सबवेज, स्वचालित सीढ़ियाँ, भूमिगत पार्किंग तथा भू–दृश्य व प्रकाश व्यवस्था में सुधार जैसी सुविधायें जोकि ट्रैफिक तथा पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा पर्यटकों के अनुभवों में सुधार के लिए थी, पूरी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.67 करोड़ की व्यय राशि निष्फल रही जबकि कॉरिडोर के फर्श तथा कर्बस लगाए जाने में ₹ 3.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। ₹ 4.97 करोड़ की लागत पर अग्निशमक सामर्थयों की वृद्धि की प्रभावोत्पादकता को लेखापरीक्षा में आश्वस्त नहीं किया जा सका था। परियोजना के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा होनी बाकी थी तथा लेखाओं का अंतिम रूप में समायोजन अभी बाकी था (मार्च 2016)।

मामला प्रथमतः सितम्बर 2015 में तथा पुनः मई 2016 में सरकार तथा न.दि.न.प. को भेज दिया गया था, उनके जवाब प्रतीक्षित (16 अगस्त 2016) थे।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन एवं प्रचार अभियान

रा.रा.क्षे.दि.स. के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि विज्ञापनों तथा प्रचार अभियानों पर ₹ 24.29 करोड का व्यय किया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक निधि के व्यय को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थे। एक विशेष प्रचार अभियान पर किये गए ₹ 33.40 करोड़ के व्यय का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय रा.रा.क्षे. दिल्ली से बाहर प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर था जो रा.रा.क्षे.दि.स के उत्तरदायित्व से परे था। रा.रा.क्षे.दि.स के विज्ञापनों तथा प्रचार अभियानों को चालित करने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में 'शब्दार्थ' की स्थापना के परिणाम स्वरूप कोई लागत लाभ नहीं मिला। न तो आवश्यक दृश्यता का कोई पूर्व आकलन था ओर न ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन था। कमजोर व्यय नियन्त्रणों तथा आन्तरिक नियन्त्रणों ने किए गए व्यय अथवा उत्पन्न दायित्वों की व्यापकता तथा सटीकता के प्रति कोई आश्वासन नहीं दिया।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डी.आई.पी.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के कार्यक्रमों, नीतियों तथा कार्यकलापों की सूचना तथा प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है तथा उसके सभी विभागों की प्रचार आवश्यकताओं की देख–रेख करता है। डी.आई.पी. द्वारा 7 जून 2007 को जारी किए गए समाचार पत्रों/दैनिकी के इम्पैनलमेंट के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी विभागों के अध्यक्षों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) अथवा डी.आई.पी. की निर्धारित दरों पर व्यय संस्वीकृत किए जाने का पूरा अधिकार था। हालांकि डी.आई.पी. के विशेष दरों जैसे वाणिज्य दरों पर विज्ञापनों के लिए व्यय करने हेतु उन्हें माननीय मुख्यमंत्री अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन लेना पड़ता है तथा उसके पश्चात वित्त विभाग की वित्तीय सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। दिशानिर्देश विद्यमान अनुदेशों की पुनरावृत्ति करते है कि सभी क्रियटिवज प्रिंट तथा आउटडोर मीडिया तथा रेडियो जिंगल अथवा टी.वी. लोकप्रसिद्धियों को प्रसारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। डी.आई.पी. ने 30 मार्च 2015 को निर्देश जारी किए कि डिजाईनों को सूचना एवं प्रचार निदेशक अथवा प्रधान सचिव (जन सम्पर्क) के माध्यम से उपमुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जून 2015 में दिल्ली सरकार ने सोसायटिज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860, के अन्तर्गत 'शब्दार्थ' के रूप में एक सोसायटी की स्थापना की जो एक विज्ञापन एजेंसी बनी और, सभी सरकारी विज्ञापनों को उसके माध्यम से कराया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 13 मई 2015 के निर्णय में किसी निहित सार्वजनिक हित के बिना विज्ञापन के लिए सार्वजनिक निधियों के मनमाने ढंग से उपयोग को रोकने की दृष्टि से 'सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देशों' को अनुमोदित किया। शीर्ष

न्यायालय ने विषय नियमन के पाँच सिद्धांतो को पारित किया जैसे (क) विज्ञापन अभियान सरकारी दायित्वों से सम्बन्धित होने चाहिए, (ख) विज्ञापन सामग्री को विषयपरक, स्पष्ट तथा सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, (ग) विज्ञापन सामग्री वस्तुपरक होनी चाहिए तथा सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा नहीं देने वाली होनी चाहिए (घ) विज्ञापन अभियान न्यायोचित होने चाहिए तथा निपुण तथा लागत प्रभावी तरीके से किए जाने चाहिए, और (ङ) सरकारी विज्ञापन को कानूनी आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमनों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संघ के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/एजेंसियों को 20 मई 2015 को अनुपालना के लिए निर्णय के सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के अनुदेश दिए। डी.आई.पी. ने अपनी वेबसाइट पर न्यायालय के निर्णय को अपलोड किया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने तदुपरान्त 3 अगस्त 2016 को सभी विभागों/स्वायत्त निकायों/निगमों को संदर्भित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित विषय नियमन पर दिशानिर्देशों को परिचालित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया।

1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान प्रसारित किए गए विज्ञापनों के संबन्ध में डी.आई.पी. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जांच यह सुनिश्चित किए जाने के लिए की गई कि क्या प्रचार तथा विज्ञापनों पर किया गया व्यय वित्तीय औचित्य के सामान्य नियमों के अनुसार मितव्ययी, कुशल तथा प्रभावी रूप से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) एवं पाँच अन्य विभागों[1] को लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए प्रसारित किए गए विज्ञापनों की संख्या के आधार पर चयनित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा सिद्धांतों को किए गए व्यय के निर्धारण तथा मूल्यांकन के लिए निर्देश चिन्ह के रूप में अपनाया था।

2.2.1 बजट तथा व्यय

वर्ष 2013–15 की अवधि के दौरान, डी.आई.पी. ने विज्ञापनों पर व्यय 'अन्य प्रभार' शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित बजट जो कि 2013–14 में ₹ 29.66 करोड़ और 2014–15 में ₹ 20.23 करोड़ था, में से पूरा किया। 'विज्ञापन एवं प्रसार' शीर्ष के अन्तर्गत कोई आवंटन नहीं था। 2015–16 बजट के लिए, डी.आई.पी. ने ₹ 26.90 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 'अन्य प्रभारो' के लिए ₹ 20 करोड़ तथा शेष वेतन एवं अन्य आवर्ती व्यय सम्मिलित थे। जबकि डी.आई.पी. को 'विज्ञापन तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 500 करोड़ तथा 'अन्य प्रभारों' शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 22 करोड़, कुल मिलाकर ₹ 522 करोड़ आवंटित किए थे। बाद में यह आवंटन संशोधित अनुमानों में घटाकर ₹ 100 करोड़ किया गया। 2013–16 के दौरान

[1]शिक्षा विभाग, प्रयावरण विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग।

विज्ञापनों पर बजट (संशोधित अनुमान) तथा व्यय को **तालिका 2.2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.2.1 : विज्ञापन तथा प्रचार के लिए बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट (संशोधित अनुमान)			व्यय		
	डी.आई.पी.	अन्य विभाग	कुल	डी.आई.पी.	अन्य विभाग	कुल
2013-14	29.66	26.48	56.14	25.25	22.49	47.74
2014-15	20.23	21.65	41.88	11.12	16.31	27.43
2015-16	122.00	12.11	134.11	81.23	उपलब्ध नहीं	

टिप्पणी *: 1.आंकड़े 'विज्ञापन तथा प्रचार' शीर्ष के अन्तर्गत अनुदानों के विस्तृत मांग से लिए गए है। वास्तविक आंकड़े तालिका में दिखाए गए आंकड़ों से अधिक हो सकते है क्योंकि दूसरे विभागो ने अन्य शीर्षों जैसे कार्यालय व्यय, परियोजनाओं, स्कीमों, कार्यक्रमों इत्यादि से भी विज्ञापन व्यय किया था।*

2. *अन्य विभागों के आंकड़ों में निविदाओं, नोटिसों इत्यादि के प्रसारण पर भी व्यय सम्मिलित है।*

3. *2015–16 के लिए डी.आई.पी. के व्यय में निविदा तथा अन्य नोटिसों इत्यादि पर भी व्यय सम्मिलित है।*

4. *डी.आई.पी. के 2015–16 के सं.अ. में ₹22 करोड़ के अन्य प्रभार सम्मिलित है।*

व्यय पंजिकाओं की संवीक्षा से पता चला कि डी.आई.पी. द्वारा ₹ 81.23 करोड़ के व्यय के अतिरिक्त 2015–16 में प्रसारित किए गए विज्ञापनों के लिए 2016–17 में ₹ 20.23 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जो 2015–16 में प्रकाशित विज्ञापनों के कुल व्यय को ₹ 101.46 करोड़ पर ले आया। डी.आई.पी. ने लेखा परीक्षा को सूचित किया कि 2015–16 के दौरान प्रसारित किए गए द्रश्य–श्रव्य विज्ञापनों के सम्बन्ध में लगभग ₹ 12.75 करोड़ की वचनबद्ध देयता भी थी। डी.आई.पी. द्वारा प्रिंट तथा आउटडोर मीडिया के सम्बन्ध में वचनबद्ध देयता के ब्यौरों को उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि इसके लिए अनुरोध किया गया था। इस प्रकार, 2015–16 के दौरान प्रसारित किए गए विज्ञापनों की वास्तविक लागत ₹ 114.21 करोड़ से ऊपर हो सकती है।

2.2.2 प्रचार सामग्री के विषय

2.2.2.1 प्रचार अभियानों में प्रक्षेपित व्यक्तित्व/दल

सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देश अनुबन्ध करते है कि विज्ञापन सामग्री विषयपरक होनी चाहिए और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध है कि सरकारी विज्ञापन राजनितिक तटस्था वाले

होंगे तथा उन्हें राजनीतिक व्यक्तित्व की प्रशंसा नहीं करनी होगी तथा सत्ता में पार्टी के सकारात्मक प्रभाव अथवा सरकार की आलोचक पार्टियों के नकारात्मक प्रभाव के प्रक्षेपण से बचना होगा। यह भी कहा गया है कि विज्ञापन सामग्री में सरकारी पार्टी के विशेष नाम अथवा राजनीतिक दल का चिन्ह, लोगो अथवा झंडे का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

विज्ञापनों तथा टेलिविजन क्लिप्स (अनुलग्नक) की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चलाः

(i) डी.आई.पी. ने ₹ 1.74 करोड़ की लागत पर 16 जून 2015 से सात दिनों की अवधि के लिए 14 समाचार चैनलो में 120 सैकेण्ड के अन्तराल की टी.वी. क्लिप के प्रसारण को अनुमोदित किया। उसी महीने में, डी.आई.पी. ने शिक्षा बजट में बढ़ोतरी के बारे में सामान्य जनता को सूचित करने, दिल्ली में विधार्थियों के लिए शिक्षा ऋण गारंटी स्कीम, तथा शिक्षा के लिए सरकार की चिंता से सम्बन्धित एक अन्य टी.वी. क्लिप को अनुमोदित किया। 90 सैकेण्डस की अनुमोदित की गई इस टी.वी. क्लिप को 9 जुलाई 2015 से 1 दिन में 60 स्थानों पर, 7 दिनों की अवधि के लिए 18 समाचार चैनलों पर प्रसारित किया जाना था। इस टी.वी. क्लिप के प्रसारण की अवधि को 10 दिन बढ़ा कर अर्थात 25 जुलाई 2015 तक कर दिया गया तथा पिछले अनुमोदित 18 चैनलों में दो चैनल और बढ़ा दिए गए। इस टी.वी. क्लिप के प्रसारण पर कुल ₹ 5.38 करोड़ का व्यय किया गया था। सरकार के प्रयासों को व्यक्तिगत उपलब्धियों का हवाला देते हुए कई स्थानों पर इन दोनों टी.वी. क्लिप्स में दिल्ली सरकार का संदर्भ *'केजरीवाल सरकार'* तथा विशेषतौर पर 'केजरीवाल' लिया गया।

(ii) अगस्त तथा सितम्बर 2015 के दौरान, डी.आई.पी. ने 13 क्रिएटिव, विभिन्न स्थानों जैसे बस क्यू शैल्टर, जनोपयोगी/कूड़ेदान, यूनीपोल्स, बिल बोर्डस, रेलवे पुलों, मैट्रो रेल के अन्दर, मीडिया स्क्रीन तथा किराया मुक्त स्थलों पर प्रदर्शित करते हुए एक मीडिया अभियान आरम्भ किया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि सभी क्रिएटिवज़ में कैपशन लाईन *'केजरीवाल सरकार के छः महीने'* को शामिल किया गया था। 23 एजेंसियों में से केवल तीन एजेंसियों को किए गए भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेखों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया गया। इन तीनों एजेंसियों को ₹ 95.51 लाख की राशि की मंजूरी दी गई थी। इस अभियान पर किए गए कुल व्यय की गणना नहीं की जा सकी थी क्योंकि शेष 20 एजेंसियों को किए गए/देय भुगतानों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(iii) सरकार ने 26 राष्ट्रीय समाचार पत्रों तथा 14 राज्यों के 37 क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञाप्तियों के प्रकाशन (14,15,16 तथा 17 फरवरी 2016 को प्रत्येक दिन दो फुल पेज) को अनुमोदित (12 फरवरी 2016) किया था। अन्य राज्यों के क्षेत्रीय भाषा चैनलों को शामिल करते हुए 89 टी.वी. चैनलों पर प्रसारण के लिए भी नौ टी.वी. क्लिप्स के साथ–साथ सात एफ.एम. चैनलों पर प्रसारण के लिए सात रेडियो जिंगल को भी अनुमोदित किया गया था। टी.वी. क्लिप्स को 15 फरवरी तथा 1 मार्च 2016 के बीच

सात दिन के लिए प्रसारित किया गया तथा रेडियो जिंगल को 13 तथा 19 फरवरी 2016 के बीच प्रसारित किया गया था। अभियान पर ₹ 33.40 करोड़ का कुल व्यय किया गया था। ₹ 15.50 करोड़ के व्यय की नमूना जांच से निम्नलिखित का पता चलाः

(क) 14 फरवरी 2016 को, 30 शहरों से विभिन्न संस्करणों में 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित विज्ञप्ति में लेख का विषय–वाक्य *'आम आदमी पार्टी सरकार'* ने शिक्षा के बजट को दुगना कर रचा इतिहास' दिखाया गया।

(ख) 14 से 17 फरवरी 2016 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित की गई विज्ञाप्तियों में दिल्ली सरकार को लगभग निरपवाद रूप से 'आप सरकार' अथवा केवल 'आप' निर्दिष्ट किया गया था।

(ग) जम्मू से प्रकाशित एक समाचार पत्र 'डेली एक्सेलसियर' में 29 फरवरी तथा 1 मार्च 2016 के पेज का शीर्षक *'आप सरकार की सफलता का पहला वर्ष'* था।

(घ) इसी प्रकार फरवरी 2016 में प्रकाशित की गई विज्ञप्ति में केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां दी गई थी। विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी मशीनरी एवं एक एजेंसी को अपने द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं को दबाने के लिए, गलत उपयोग किया, जबकि उसी एजेंसी का उपयोग दिल्ली सरकार तथा मुख्यमंत्री के कार्यालय को फसाने के लिए किया।

(ङ) एक टी.वी. क्लिप में लोगों के समूह में एक व्यक्ति को झाड़ू घुमाते हुए दिखाया गया जोकि एक राजनीतिक दल का राजनीतिक चिन्ह है। जब इसे स्क्रीन पर दिखाया तब हिन्दी मे कहा *'यह है आप की सरकार, पहला साल बेमिसाल'*। केवल 'आप' शब्द जोकि अंग्रजी में था, को छोड़कर पूरा कैप्शन (स्लोगन) को हिन्दी में लिखा गया था। इसमें एक जुलूस भी दिखाया गया जिसमें एक बैनर *'आम आदमी पार्टी'* को दिखा रहा था। 'आप' शब्द राजनीतिक दल को पूरी तरह सूचित कर रहा था।

(च) एक अन्य टी.वी. क्लिप में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार *'केजरीवाल सरकार'* द्वारा किए जाने के दावे को दिखाया जा रहा था।

(छ) दो अन्य टी.वी. क्लिप्स में, दिल्ली सरकार को *'केजरीवाल सरकार'* निर्दिष्ट किया गया था।

(ज) एक अन्य टी.वी. क्लिप 'आम आदमी सरकार' की विशेष उपलब्धियों तथा सरकार द्वारा सामना की गई रूकावटों को संदर्भित कर रही थी एवं केन्द्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नकारात्मक द्रष्टिकोण में प्रक्षेपित कर रही थी।

(झ) उसी तरह से शिक्षा सुविधाओं, खराब हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा, ओड–इवन स्कीम, सरकारी अस्पतालो में दवाईयां तथा जांच और बिजली तथा पानी के बिलों में कटौती से सम्बन्धित रेडियो जिंगल में भी *'केजरीवाल सरकार'* ही उद्धृत था।

(iv) इसके अतिरिक्त 'महिलाओं की सुरक्षा' पर विज्ञापन अभियान के अन्तर्गत ₹ 71.65 लाख की लागत पर 21 से 27 जुलाई 2015 तक सात दिनों के लिए 105 सैकेण्ड की एक टी.वी. क्लिप टेलिकास्ट की गई थी, जिसमें 'दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर' को बिगाड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली पुलिस को, उत्तरदायी दर्शाते हुए एक नकारात्मक दृष्टिकोण में प्रक्षेपित कर रही थी।

उपरोक्त विज्ञापनों तथा प्रचार अभिमानों पर नमूना जाँच के दौरान पाया गया व्यय ₹ 24.29 करोड़ था, जो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ व्यक्ति परक थी तथा 'केजरीवाल सरकार' का जनता तथा मीडिया द्वारा नामावली के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उपयोग प्रभावी संचार के लिए किया गया था। उसने यह भी कहा कि 'आप सरकार' अभिव्यक्ति का उल्लेख दिल्ली सरकार के लिए किया, जो केवल दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में थी। नकारात्मक टिप्पणयों के सम्बन्ध में, निदेशालय ने महिलोओं के प्रति जुर्म एवं दिल्ली पुलिस के योगदान के सम्बन्ध में विभिन्न अभियुक्तियों/न्यायालय की टिप्पणियों/मीडिया को उद्धृत किया तथा यह बताया कि दिल्ली में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में उल्लेख की बात है, निदेशालय ने बताया कि यह कानूनी रूप से गठित दो सरकारों के बीच का राजनीतिक मामला था जोकि जनता के समक्ष रखा गया तथा जिसमें किसी दूसरे राजनीतिक दल को लक्षित नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रचार अभियान, जोकि पब्लिक एक्सचैकर द्वारा निधिवद्ध होते हैं, को जनता के अधिकारों, आभार तथा अधिकृतों को सूचित करने के साथ–साथ सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं तथा पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए। विज्ञापन जो कि दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय देता है तथा जिसमें राजनीतिक दल के सन्दर्भ में विशिष्ट लेख, चित्रमय तथा द्रृश्य अथवा उनके चिन्ह सम्मिलित है, वे राजनितिक दल के राजनीतिक हितों को निःसन्देह रूप से बढ़ावा देने वाले है तथा व्यय से संबंधित शासी मूलभूत सिद्धांतों एवं शीर्ष न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के विरूद्ध थे। अन्य सरकारों के विषयों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष अथवा राजनीतिक तर्क तथा पक्षपात दृष्टिकोण से मुक्त हैं क्योकि उनकी प्रकृति सत्ता में पार्टी की सकारात्मक धारणा तथा सरकार की आलोचक पार्टियों की नकारात्मक धारणा को प्रक्षेपित करती है।

2.2.2.2 विज्ञापनों में गैर सत्यापनीय विषय

दिशानिर्देश निर्धारित करता है कि सूचना प्राप्तकर्ताओं को, विज्ञापन के विषयों में तथ्यों और विश्लेषणों, के बीच अंतर करने के लिए समर्थ बनाना चाहिए तथा जहां सूचना एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, यह सटीक और सत्यापनीय होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

(क) फरवरी 2016 में प्रसारण किया गया टीवी क्लिपस में दावा किया गया कि तीन पुलों को अनुमानित लागत की अपेक्षा लगभग ₹ 350 करोड़ की कम लागत पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने लोक निर्माण विभाग से परियोजनाओं और किए गए व्यय के विवरण का अनुरोध किया। तथापि कोई विवरण प्रदान नही किये गये थे। प्रारूप रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में सरकार ने कहा (जुलाई 2016) कि तीन पुलो (मंगोलपुरी से मधुबन चौक, मधुबन चौक से मुबरका चौक और प्रेमबाड़ीपुल से आजादपुर) के निर्माण मे ₹ 347 करोड़ की बचत थी जब इनकी तुलना संस्वीकृत लागत से की गई। इनमें से एक पुल 25 जनवरी 2016 को पूरा कर लिया गया था जबकि शेष दो पुलो के संबंध में 'लघुमदों के कार्य' प्रगति में थे। शेष कार्यों में सड़को को चौड़ा करना/सुदृढ़ीकरण, सेवा सड़क, फुटपाथ, नाली, स्ट्रीट लाइट का निर्माण इत्यादि शामिल था। प्रक्षेपित कुल व्यय केवल एक 'आंकलन' था तथा यह किया गया वास्तविक व्यय नहीं था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि तीन पुलो में से दो का निर्माण कार्य पुरा होना शेष था यद्यपि उन्हे यातायात के लिए खोला जा चुका था तथा प्रक्षेपित बचत बेशक एक आंकलन पर आधारित थी न कि वास्तविक व्यय पर। शेष कार्यों की लागत लेखापरीक्षा को नही बतायी गयी थी। मदवार स्वीकृत लागत तथा किए गए वास्तविक व्यय के विवरण के परियोजना अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा विज्ञापनों में दावे के साथ कही गई बचतों की सटीकता को सत्यापित करने में असमर्थ है।

(ख) फरवरी 2016 में प्रसारित टीवी क्लिपों में से एक में कहा गया कि पहले एक औषधालय निर्माण हेतु ₹ 5 करोड़ का उपयोग किया जाता था जबकि वही औषधालय अब ₹ 20 लाख की लागत पर निर्माण कराया गया। हालांकि, डी.आई.पी. में संबंधित फाइल में न तो टीवी क्लिप में किए गए दावे के समर्थन में कोई प्रमाण निहित था न ही कोई दस्तावेज संकेत करता है कि विषय संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किये गये थे। एक लेखा परीक्षा सवाल के जवाब में स्वास्थ सेवा निदेशालय (डी.एच.एस.) ने कहा कि वर्ष 2015–16 के दौरान कोई भी नवीन औषधालय का निर्माण नही किया गया था। इस प्रकार, पहले बनाए गए औषधालयों और अब बनाए गए औषधालयों के लागत की तुलना हेतु कोई आधार नही था। इसलिए, कम लागत पर औषधालयों के निर्माण से संबंधित दावा सत्यापन योग्य नहीं था।

2.2.2.3 विज्ञापनों में मंत्रियों की तस्वीरों का समावेश

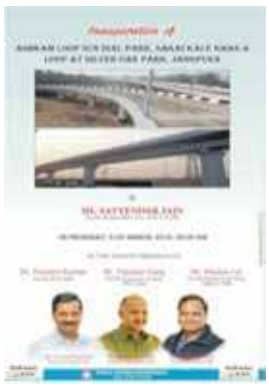

दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि सरकारी विज्ञापनो में राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों से बचना चाहिए तथा यदि यह प्रभावशाली सरकारी संदेश के लिए आवश्यक महसूस किया जाता है तो केवल राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री या राज्यपाल/मुख्यमंत्री की तस्वीरों का प्रयोग होना चाहिए। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मार्च 2016 को एक समीक्षा याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री की तस्वीर के बदले विभागीय (केबिनेट) मंत्री/संबंधित मंत्रालय के मंत्री प्रभारी की तस्वीर प्रकाशित की जा सकती है, यदि ऐसा वांछित हो।

डी.आई.पी. ने 31 मार्च 2016 को दिल्ली के समाचार पत्रों में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकों के उद्घाटन, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की योजना के उद्घाटन, आश्रम लूप सन डायल पार्क, सराय काले खाँ और सिल्वर ओक पार्क, जंगपुरा से संबंधित तीन विज्ञापनों को प्रकाशित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञापनो मे मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री (लो.नि.वि.) की तस्वीर समाहित थी। क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार या तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के स्थान पर संबंधित मंत्री की तस्वीर का प्रदर्शन होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ माननीय मंत्रियों की तस्वीरों का समावेश दिशानिर्देशों के विरूद्ध था।

2.2.3 लक्षित जनसंख्या को चिन्हित करना

दिशानिर्देशों के महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धातों में से एक था कि प्रचार और विज्ञापन अभियानो को विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए तथा विज्ञापनों का विषय सरकार के सवैंधानिक एवं वैधानिक बाध्यताओं के साथ–साथ नागरिको के अधिकारों और हको से संबंधित होना चाहिए। इसमें पहले ही कल्पना की जाती है कि समाज के लक्षित दर्शक/वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित किया जा सकेगा तथा अभियान से इस निर्धारित जनसंख्या को अधिक लागत प्रभावी ढंग से लक्ष्य के अनुकूल बनाया जा सकेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभियान की डिजाइनिंग अथवा मीडिया चयन करते समय ऐसा कोई भी प्रयोग नही किया गया था। अपेक्षित स्पष्टता/ पहुँच के किसी विश्लेषण के बिना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बाह्य मीडिया में व्यापक कवरेज था। छोटे अभियानों में जिसमे केवल

एक मीडिया होता है, वर्ष 2013–14 में टी.वी./रेडियो पर दिखाए सुनाए गए चैट शो के एक उदाहरण के अलावा, समाचार पत्रों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। लक्षित दर्शक निर्धारित किए बिना या ऐसे लक्षित दर्शक को मीडिया की स्पष्टता के बिना मीडिया के चयन ने विज्ञापन अभियानो की प्रभावशीलता का कोई आश्वासन नहीं दिया।

इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट सरकार का उत्तरदायित्व उस विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनता के प्रति होता है। ऊपर पैरा 2.2.1 (iii) में उल्लेखित प्रचार अभियान पर किए गए कुल व्यय ₹ 33.40 करोड़ में से, ₹ 28.71 करोड़ (86 प्रतिशत) रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर विज्ञापनों को प्रकाशित करने में खर्च किया गया जो नीचे **तालिका 2.2.2.** में है।

तालिका 2.2.2: अन्य राज्यों में विज्ञापनों पर व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मीडिया	समाचार पत्र/टीवी चैनल/रेडियो चैनल	किए गए भुगतानों के संदर्भ में प्राप्त अभिलेख	कुल व्यय	दिल्ली से संबंधित व्यय	अन्य राज्यो/शहरो से संबंधित व्यय
प्रिंट	26 राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा 37 क्षेत्रीय समाचार पत्र	11 राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा 30 क्षेत्रीय समाचार पत्र	24.04	2.76	21.28
टीवी	तीन एजेंसियाँ 98 चैनलो को कवर कर रही है	तीन एजेंसियाँ में से दो	7.86	1.30	6.56
रेडियो	7	7	1.50	0.63	0.87
		योग	33.40	4.69	28.71

वास्तिक आँकड़े ज्यादा हो सकते है क्योंकि इन आँकड़ो में 15 मुख्य समाचार पत्रो, 7 क्षेत्रीय समाचार पत्रों तथा 'शब्दार्थ' के माध्यम से प्रसारित टीवी क्लिप्स में विज्ञापनों पर व्यय सम्मिलित नही किया गया है।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि दिल्ली में पर्यटन, व्यापार तथा खुदरा व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा अधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न करने हेतु अधिक क्षमता थी। राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसाय, अच्छे कौशल, अच्छे डॉक्टरों, अच्छे इंजीनियरों तथा अच्छे शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में किए गए कार्य जैसे स्वास्थ, शिक्षा, जल आपूर्ति इत्यादि प्रदर्शित किए गए थे।

उत्तर तर्कसंगत नही है क्योकि विज्ञप्तियों, टीवी, क्लिप्स और रेडियों जिंगल में दिल्ली सरकार की उपलब्धियाँ एक राजनीतिक दल के रूप में दर्शायी गयी तथा विज्ञापन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की योजनाओं तथा पहल को जन साधारण तक सूचित करने या

रा.रा.क्षे. दिल्ली के नागरिको के लिए रा.रा.दि.स. के सवैंधानिक तथा वैधानिक बाध्यताओं से संबंधित नही थे।

2.2.4 विज्ञापनो की प्रभावकारिता

दिशानिर्देश *अन्य बातों के साथ–साथ* अनुबद्ध करते है कि सरकारों की नीति ऐसी होनी चाहिए, जिसके द्वारा जनता की निधियों को ऐसे ढंग से उपयोग किया जाए जिससे करदाताओं की धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

मई से जुलाई 2015 में चार विज्ञापन अभियानो[2] के अंतर्गत टीवी चैनलो पर प्रसारण हेतु विज्ञापनो को प्रकाशित करते समय डीआईपी ने अनुबद्ध किया कि क्लिप्स का प्रसारण प्रातः 8:00 बजे से रात 11:00 बजे के बीच होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसारण प्रमाणपत्रों में पाया कि कुछ क्लिपस का प्रसारण प्रातः 7:00 बजे से भी पहले किया गया था यद्यपि प्रतिदिन प्रसारण की कुल संख्या को जारी आदेशों में उल्लेख के अनुसार रखा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रातः 7:00 बजे से पहले के समय प्रकोष्ठों में संभवतः दर्शकों की संख्या कम होती है जिससे कि उनकी प्रभाविकता एवं लागत प्रभाव कम हो जाते है। इन विज्ञापनों पर किया गया व्यय ₹ 29.64 लाख था।

निदेशालय ने (जुलाई 2016) आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

2.2.5 अभियान पश्चात प्रभाव आकलन का अभाव

दिशानिर्देशों में अनुबद्ध है कि विज्ञापन के बड़े अभियानो में, अभियान पश्चात प्रभाव आकलन स्वतः योजना प्रक्रिया में समाहित किया जाना आवश्यक है, जो अभियान समाप्त हो जाने के बाद सफलता मापने के लिए सकेंतकों की पहचान कर सकें। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि न तो विज्ञापन अभियानो के लिए योजना प्रक्रिया में अभियान पश्चात प्रभाव आकलन समाहित किया गया था और न ही इसे विज्ञापन अभियानो के समाप्त होने के बाद किया गया था।

2.2.6 'शब्दार्थ' की स्थापना

दिल्ली मंत्री परिषद को शब्दार्थ की स्थापना के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव में स्पष्ट था कि डी.आई.पी., पैनल में शामिल निजी विज्ञापन एजेंसियों पर पूर्णतः आश्रित था, जिससे दिल्ली सरकार 15 प्रतिशत की छूट से, जो मीडिया द्वारा दी जाती है, वंचित रह गई क्योंकि एजेंसियों द्वारा छूट को रखा जाता था। यह प्रस्तावित था कि एजेंसी को अपने खर्चों को पूरा करने तथा आत्म निर्भर बनने के लिए छूट का पाँच प्रतिशत रखने की अनुमति दी जा

[2]शुल्क दर, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा बजट में वृद्धि तथा दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विज्ञापन अभियान।

सकती है तथा सरकार अभी भी 10 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकती है। यह भी प्रस्तावित था कि शब्दार्थ की स्थापना तथा परिचालन खर्च हेतु ₹ 50 लाख का ऋण प्रदान किया जा सकता है जिसे पाँच वर्षो में चुकाया जाना था।

केबिनट ने शब्दार्थ की स्थापना (16 अप्रैल 2015) का अनुमोदन इस परिवर्तन के साथ किया कि शब्दार्थ द्वारा पूरी 15 प्रतिशत छूट रखी जा सकती है तथा ऋण के बजाय एक बार अनुदान के रूप में ₹ 50 लाख दिए जाए।

शब्दार्थ ने बाद में रा.रा.क्षे. दिल्ली के सूचना और प्रचार के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत अगस्त 2015 से कार्य करना शुरू किया। इसे डीआईपी भवन में स्थान और कार्यालय सुविधाएँ प्रदान की गई थी। शब्दार्थ के संगम ज्ञापन में *अन्य बातों के साथ–साथ* यह भी कहा गया कि इसका उद्देश्य प्रिंट, बाह्य टी.वी./रेडियो/अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और रा.रा.क्षे.दि.स. की प्रसारण गतिविधियों, नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों से संबंधित प्रकाशन तथा प्रस्तुतीकरण और नागरिकों के साथ संचार का है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्री परिषदों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के परिवर्तनों ने शब्दार्थ को 15 प्रतिशत छूट को बनाए रखने की अनुमति देते हुए वित्तीय लाभ को नकार दिया जिसे सोसायटी की स्थापना के लिए प्रस्ताव मे औचित्य के रूप में आगे रखा गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 9 फरवरी 2016 को सचिव (जनसंपर्क)/डी.आई.पी. ने प्रचार अभियान से संबंधित मुख्य–धारा प्रिंट मीडिया के विपणन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की जो उसी महीने में शुरू होनी थी, समाचार पत्रों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बाद में, डी.आई.पी. ने विज्ञप्तियों के लिए ₹ 24.04 करोड़ जारी किया जो 14 से 17 फरवरी 2016 तक 26 राष्ट्रीय और 37 क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। इसमें 11 राष्ट्रीय और 30 क्षेत्रीय समाचार पत्रों के संदर्भ मे शब्दार्थ के लिए ₹ 4.04 करोड़ की छूट शामिल थी। शेष समाचार पत्रों के बिल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये थे। समाचार पत्रों द्वारा प्रस्तुत बिलो में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की। हालांकि, शब्दार्थ ने इसके द्वारा डीआईपी को प्रस्तुत बिलों में छूट को जोड़ा था। जबकि इस संदर्भ में डिजाइनिंग और क्रिएटिवस संबंधित समाचार पत्रों द्वारा किए गए थे, शब्दार्थ के माध्यम से भुगतान का तथा सोसायटी के लिए छूट का लाभ प्रदान करने का कोई औचित्य नही था।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि शब्दार्थ ने विज्ञापनों के प्रकाशन, बिल बनाने तथा भुगतान से संबंधित सभी गतिविधियाँ निष्पादित की। यह भी कहा गया कि यहाँ तक कि निदेशालय ने विज्ञापनों को प्रकाशित किया था, इसमें कमीशन की बचत नही हो सकती थी जैसाकि यह समाचारपत्रों और एजेंसी के बीच था। उत्तर तर्कसंगत नही है क्योकि एजेंसी की छूट इस मामले में डीआईपी को उपलब्ध हो सकती थी यदि इसने समाचार पत्रों को विज्ञप्तियाँ सीधे तौर पर प्रकाशन हेतु दी होती।

2.2.7 बजटीय नियन्त्रण की कमी

सा.वि.नि. बताते हैं कि व्यय किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से देय अनुमोदनों को प्राप्त किया जाना चाहिए। इनमें व्यय के अनुमान सम्मिलत होते है जोकि सूचित की गई मंजूरी के अनुसार उसे इस योग्य बनाए जाने के उद्देश्य में अनुमोदन करने वाले अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। डी.आई.पी. ने 30 मार्च 2015 को सभी विभागों को अनुदेश जारी किए कि सक्षम अधिकारी से विज्ञापन के लिए अनुमोदन मांगते समय प्रस्ताव में अभियानों की अनुमानित कुल लागत, क्षय, एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित छूट, इत्यादि शामिल करना चाहिए।

डी.आई.पी. में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि ₹ 33.46 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करते हुए आठ विज्ञापन अभियानों का प्रस्ताव 2015–16 के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन भी किया गया, यद्यपि सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में अनुमानित लागत को न तो परिकलित किया गया और न ही उनको अग्रेषित किया गया। इस प्रकार, सक्षम अधिकारी के लिए किसी भी तरह से व्यय की प्रमात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता था जिससे उसे प्राधिकृत किया जाता, न ही देयता को प्राप्त किए जाने की पर्याप्त राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने का कोई तंत्र था।

इसी प्रकार उच्च शिक्षा निदेशालय (डी.एच.ई.) तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने अनुमानित लागत की उपलब्धता के बिना विज्ञापनों के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। इन दो विभागों द्वारा वास्तविक व्यय 2013–15 के दौरान क्रमशः 10 मामलों में ₹ 27.02 लाख तथा 11 मामलों में ₹ 1.05 करोड़ था।

विज्ञापनों का प्रसारण, सम्मिलित किए गए व्यय का निर्धारण किए बिना, किया जाना, व्यय नियंत्रण के मूलभूत मानको का उल्लंघन करना था तथा बजट आंबटनो अथवा उपलब्ध निधि के संदर्भ के बिना सृजित देयताओं को परिमाणित किया गया।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि विज्ञापनों को प्रसारित किए जाने से पूर्व बजटीय आबंटन को ध्यान में रखा जाता था। आगे कहा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी विभागों/स्वायत निकायों/निगमों को जून 2016 में प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव में प्रत्येक विज्ञापन की अनुमानित लागत को शामिल करके स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर की पुनरावृत्ति की गई थी। हालांकि, तथ्य यह था कि ₹ 34.78 करोड़ के व्यय से संबंधित प्रस्तावों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु, उनके वित्तीय निहितार्थों को अवगत कराए बिना प्रस्तुत किया गया तथा अनुमोदन प्राप्त किया गया।

2.2.8 आन्तरिक नियंत्रण की कमी

आंतरिक नियंत्रण वे सुरक्षा उपाय होते हैं जिन्हें एक संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन प्रदान करने हेतु लागू किया जाता है कि इसका संचालन योजनानुसार हो रहा है। ये उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं कि उपक्रम के सामान्य

उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों द्वारा प्रदत्त उचित आश्वासन से सार्वजनिक प्राधिकरणों की देयता सुदृढ़ होती है। लेखापरीक्षा ने रिकार्डों के रख–रखाव में सामान्य कमियां पाई जो नीचे उल्लेखित हैः

क) **रजिस्टरो का अनुचित रख–रखावः** डी.आई.पी. विभिन्न विज्ञापन एजेंसियो के माध्यम से प्रिंट मीडिया विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए वर्ष–वार विज्ञापन रजिस्टर का रख–रखाव करता है। रजिस्टर में कालम जैसे डी.आई.पी. संख्या, समाचार पत्रों का नाम, विज्ञापन का प्रकार, (प्रदर्शन/वर्गीकृत/संविदा सूचना/सार्वजनिक सूचना) विभाग का नाम/पता निहित होता है। डी.आई.पी. प्रकाशित विज्ञापनो के प्रति विज्ञापन एजेंसियो द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के भुगतान के लिए प्रिंट मीडिया के लिए व्यय रजिस्टर का भी रख–रखाव करता है जिसमें भुगतानो के ब्यौरे जैसे फाइल संख्या, अवसर, जारीकर्ता, फर्म/समाचार पत्र का नाम, बिल संख्या और दिनांक, राशि इत्यादि रिकार्ड होते है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों रजिस्टरो के बीच कोई संबंध नही था जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नही किया जा सकता था कि क्या वर्ष के दौरान प्रकाशित किए गए सभी विज्ञापनों के प्रति भुगतान किए गए थे और क्या कोई बकाया देयता शेष है।

ख) **बाहरी अभियानों एवं दृश्य श्रव्य मीडिया के लिए रजिस्टरों का गैर रखरखावः** डी.आई.पी. ने बाहरी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों के लिए कोई भी जारी आदेश रजिस्टर का रख–रखाव नही किया था यद्यपि एक व्यय रजिस्टर रखा जा रहा था जिसमें भुगतान के ब्यौरे दर्ज किये जा रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप प्रकाशित किए गए विज्ञापनों की संख्या और प्रकाशित किए गए विज्ञापनों के प्रति बिल प्राप्त किए गए थे और उनके प्रति किए गए भुगतानों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

निदेशालय ने कहा (जुलाई 2016) कि समय की कमी के कारण अधिकांश मामलो में विज्ञापनों की अनुमानित लागत को सुनिश्चित करना संभव नही था। इसके अतिरिक्त निदेशालय बजट से पूर्णतः अवगत होता है और आवंटित बजट से अधिक खर्च नहीं किया जाता। उत्तर तर्क संगत नही है जैसाकि ऐसे रजिस्टर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और व्यय की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज होते हैं और उनके अनुचित अथवा गैर–रखरखाव से दोहरे भुगतान का जोखिम बढ़ जाता है।

2.2.9 निष्कर्ष

सार्वजनिक राजकोष से वित्तपोषित विज्ञापन और प्रचार अभियानों को सरकार के उत्तरदायित्वों से संबंधित होना चाहिए और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं और अभिक्रमों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोगो को सूचित करने पर स्पष्टतया निर्दिष्ट होने चाहिए। नमूना जाँच में पाया गया कि विज्ञापनो और प्रचार अभियानों पर किया गया

₹ 24.29 करोड़ का व्यय वित्तीय औचित्यता के सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित विषय नियमन के दिशानिर्देशों के अनुरूप नही थे। एक विशेष प्रचार अभियान पर किए गए ₹ 33.40 करोड़ के व्यय का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर प्रकाशित विज्ञापनों से संबंधित था जो रा.रा.क्षे.दि.स. के उत्तरदायित्व से परे था। लक्षित दर्शकों की पहचान अथवा आवश्यक दृश्यता अथवा आऊटरीच के लिए पहले कोई कार्य नहीं किया गया, न ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन किया गया। जबकि शब्दार्थ की स्थापना विज्ञापन संबंधी व्यय को आर्थिक रूप से कम करने के कथित उद्देश्य के साथ की गयी थी जिसे प्राप्त नही किया गया था। अंततः विज्ञापनों/ प्रचार अभियानों को प्रकाशित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तावों में लागत अनुमानों के समावेशन से संबंधित विद्यमान अनुदेशों के गैर–अनुपालन ने व्यय नियंत्रण को कमजोर कर दिया तथा व्यय की व्यापकताओ एवं शुद्धता तथा विज्ञापनों एवं प्रचार से उत्पन्न देयताओं के लिए कोई आश्वासन प्रदान नहीं किया गया।

यह मामला 8 जुलाई 2016 को सरकार को भेजा गया; प्रतिवेदन हेतु उनका जवाब प्रतीक्षित था (16 अगस्त 2016)।

नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त 2016

(डौली चक्रबर्त्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 22 अगस्त 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक